कस्टम मिलिंग घोटाले में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई

टुटेजा और अनवर ढेबर गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया● रायपुर: प्रदेश में हुए 140 करोड़ रुपये के कस्टम मिलिंग घोटाले में बुधवार को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने रायपुर सेंट्रल जेल में बंद शराब घोटाले के आरोपित रिटायर्ड आइएएस अनिल टुटेजा और होटल कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपितों को विशेष कोर्ट में पेशकर पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड पर लिया गया है।

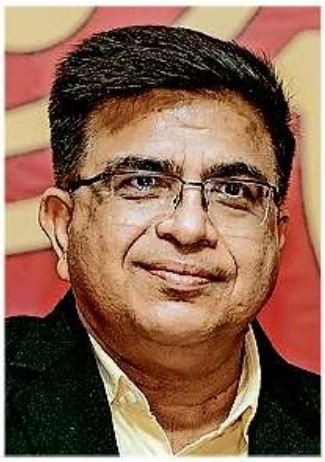

अनिल टुटेजा। ● फाइल

अनवर ढेबर। ● फाइल

3,100

करोड़ रुपये के शराब घोटाले में दोनों आरोपित जेल में हैं बंद

140 करोड़ का है कस्टम मिलिंग घोटाला, ईडी भी कर रही जांच

जानकारी के अनुसार कस्टम मिलिंग घोटाले में मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी और मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर की गिरफ्तारी ईडी पिछले साल की थी। मनोज सोनी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर बाहर है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में रिटायर्ड आइएएस टुटेजा व अनवर की संलिप्तता पाए जाने पर बुधवार को दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर विशेष न्यायालय में पेशकर गिरफ्तार किया। कोर्ट ने दोनों को 14 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया।

यह है मामला : कस्टम मिलिंग योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों से धान खरीदा जाता है। इसे चावल में बदलने के लिए मिलर्स को दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मिलर्स को भुगतान किया जाता है, जो कि सरकारी फंड से होता है। आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली कर फर्जी भुगतान किए गए। आरोप है कि राज्य में 140 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की गई। इसमें अफसरों से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हैं। ईडी ने इस मामले में मनी लान्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पाया गया कि चावल की मिलिंग करने वाले राइस मिलर्स से बिल पास करने के एवज में मार्कफेड के अधिकारी रिश्वत लिया करते थे। मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी व उनके सहयोगियों ने घोटाले को अंजाम दिया। आरोप है कि कस्टम मिलिंग, डीओ काटने, मोटा धान को पतला, पतले धान को मोटा करने के लिए पैसा लिया जाता था।